बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

ज्ञापांक:—अ०सं०क०—08—ग—आ०वि०स्था०—45/2023.1994 पटना, दिनांक 22.05.2025

विषय:— बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने की स्वीकृति।

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत् अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। योजना के तहत् राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ—साथ रोजमर्रा की सामग्री आदि भी मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले में निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय योजना के लिये वर्त्तमान में 13 आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु वर्ग—09 से वर्ग—12 तक के लिए प्रधानाध्यापक/प्राचार्य, उच्च माध्यमिक शिक्षक (10+2) (प्रशिक्षित), माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) के 416 पदों का सृजन किया गया है।

3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया के स्थान पर शिक्षा विभाग में नियुक्त शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवश्यकतानुसार लिया जाना समीचीन है।"प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय – समय पर संशोधित वेतन—भत्ते एवं सेवा शर्त्तें के अधीन अन्य स्वीकृत लाभ का भुगतान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा"। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधियाचना के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की सेवा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी।

1190

4. शिक्षा विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी गयी शिक्षकों की सेवा, शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–11/नियमावली, 01–02/2023–743, दिनांक–10.04.2023 (समय समय पर संशोधित) से आच्छादित होगी।

5. शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति शिक्षकों को वेतन–भत्ते आदि देय लाभों का भुगतान व्यय मांग संख्या – 30 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष –2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूजींगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–04–अल्पसंख्यकों के कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा– समूह शीर्ष–स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत उपशीर्ष–0001– आवासीय विद्यालय (विपत्र कोड सं०–30–2225–04–277–0001) से विकलनीय होगा।

6. उक्त राशि की निकासी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार के जिला में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

7. उपर्युक्त प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

8. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 16.05.2025 में मद संख्या–38 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9. संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/5/25

(डा० अमीर आफाक अहमद फैजी)
विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांकः–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०स्था०–45/2023...1994...पटना, दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/सभी उप निदेशक/ सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/25
विशेष सचिव–सह–निदेशक

189

ज्ञापांकः—अ०सं०क०—08—ग—आ०वि०स्था०—45 / 2023....1994...पटना, दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपिः—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

विशेष सचिव—सह—निदेशक

ज्ञापांकः—अ०सं०क०—08—ग—आ०वि०स्था०—45 / 2023..1994...पटना, दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपिः—अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या—38 दिनांक 16.05.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव—सह—निदेशक

ज्ञापांकः—अ०सं०क०—08—ग—आ०वि०स्था०—45 / 2023....1994 पटना, दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपिः—प्रधान सचिव, राज्यपालय सचिवालय / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव—सह—निदेशक

ज्ञापांकः—अ०सं०क०—08—ग—आ०वि०स्था०—45 / 2023.1994.....पटना, दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव—सह—निदेशक

ज्ञापांकः—अ०सं०क०—08—ग—आ०वि०स्था०—45 / 2023..1994 पटना, दिनांक 22.05.2025

प्रतिलिपिः—आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव—सह—निदेशक 21/5/25

1195

आदेश

विषयः–बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

1. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने हेतु मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।
2. **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जाने हेतु मानक प्रक्रिया (SOP) निम्न रूप से निर्धारित की जाती है:–**

क. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु Online माध्यम से आवेदन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आमंत्रित किये जाएँगें।

ख. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विभागीय बेवसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन (विहित प्रपत्र में) प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाएँगें।

ग. शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त/कार्यरत उच्च माध्यमिक (10+2) (प्रशिक्षित) तथा माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित) आवेदन हेतु पात्र होंगें।

घ. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के स्तर पर निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक कमिटी की गठन की जाएगी, जिसके सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

(i) संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
(ii) उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), बिहार, पटना	–	सदस्य
(iii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के लिए नामित अनु० जाति के पदाधिकारी	–	सदस्य
(iv) उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य सचिव

ङ. उक्त समिति के द्वारा प्राप्त आवेदनों को Short List एवं स्क्रूटनी कर रिक्ति के विरूद्ध लगभग दो गुना आवेदकों की सूची प्राथमिकता के आधार पर अनुशंसा हेतु तैयार की जाएगी। समिति द्वारा स्क्रूटनी के क्रम में शिक्षकों के चयन हेतु निम्न बिंदुओं पर वरीयता दी जाएगी।

i. शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता।
ii. शिक्षकों का अनुभव (विद्यालय में पढ़ाने का)।
iii. संबंधित विषय में विशिष्टता।

3. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुशंसित आवेदकों की सूची शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को अधियाचना के रूप में भेजी जाएगी।
4. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा उक्त आवेदकों की सूची से प्राथमिकता के अनुसार चयन कर रिक्ति के विरूद्ध शिक्षकों की सेवा अल्पसंख्यक कल्याण विभा[ग] को उपलब्ध करायी जाएगी। यदि प्रेषित सूची में से कोई शिक्षक किसी कारणव[श] योगदान नहीं देते हैं तो उसी सूची में से प्राथमिकता में निम्नतर शिक्षक की से[वा] उपलब्ध करायी जाएगी।

5. शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त शिक्षकों की सूची के आधार पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा शिक्षकों का पदस्थापन बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में किया जाएगा।
6. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्षों के लिए होगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति से तीन वर्षों की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। परन्तु सेवानिवृति के 01 वर्ष पूर्व शिक्षक की सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को लौटा दी जाएगी।
7. प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए अनुशासनिक कार्रवाई अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन की जाएगी।
8. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर संशोधित वेतन–भत्ते एवं सेवा शर्तों के अधीन अन्य स्वीकृत लाभ का भुगतान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा।
9. शिक्षा विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराई गई शिक्षकों की सेवा शिक्षा विभाग के अधिसूचनाओं यथा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक(नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 (अधिसूचना सं०–11/नि० –01–02/2023–743 दिनांक–10.04.2023) (समय–समय पर यथा संशोधित) से आच्छादित होगी। प्रधानाध्यापको की सेवा शिक्षा विभाग के अधिसूचना यथा "बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021" (अधिसूचना सं०–11/नियमा –01–02/2020–1338 दिनांक–18.08.2021) (समय–समय पर यथा संशोधित) से आच्छादित होगी।
10. शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति शिक्षकों को वेतन–भत्ते आदि देय लाभों का भुगतान व्यय मांग संख्या – 30 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष –2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष– 04–अल्पसंख्यकों के कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा– समूह शीर्ष– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत उपशीर्ष–0001–आवासीय विद्यालय (विपत्र कोड सं०–30– 2225–04–277–0001) से विकलनीय होगा।
11. उक्त राशि की निकासी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार के जिला में पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
12. उपरोक्त मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या–अ०सं०क०–08–ग–आ०वि०(स्था०)–45/2023 में प्राप्त है।

18/6/25

निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना

निदेशक
शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)
बिहार, पटना